न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 22/2017

उनवान
बाबूलाल बनाम श्रीमती मणी देवी वगै0

1. बाबूलाल पुत्र सांवलराम उर्फ सांवरराम जाति माली उम्र 62 वर्ष निवासी घोड़ी नगर महेश्वरी रोड़, वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।

–वादी

बनाम

1. श्रीमती मणी देवी पत्नी स्व0गोपाल जाति माली उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. गिरधारी उम्र 45 पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी वार्ड 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. बजंरग उम्र 42 पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी वार्ड 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. महेन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी वार्ड 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. श्रीमती सुशिला पत्नी महावीर पुत्र गोपाल उम्र 40 जाति माली निवासी टीबड़ा वाली ढाणी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. श्रीमती ललिता पत्नी मुरारीलाल पुत्र गोपाल उम्र 36 जाति माली निवासी बानिया वाली ढाणी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
7. दशरथ उर्फ इन्द्रदेव पुत्र बनवारीलाल उम्र 42 जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
8. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 सीताराम जाति माली उम्र 68 निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
9. कन्हैयालाल उम्र 43 पुत्र स्व0 सीताराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
10. विधा देवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र 42 जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
11. अशोक पुत्र ओमप्रकाश उम्र 20 जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
12. सोहन उम्र 35 पुत्र स्व0 सीताराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
13. श्योराम उम्र 25 पुत्र स्व0 सीताराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
14. श्रीमती शोभा पत्नी हरलाल पुत्री स्व0 सीताराम उम्र 31 निवासी गुगोजी की ढाणी तहसील चिड़ावा झुन्झुनू।
15. श्रीमती बिमला पत्नी बाबूलाल पुत्र सीताराम उम्र 33 वर्ष निवासी [illegible] ढाणी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
16. नरोतमलाल उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व0 [illegible] जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
17. रणजीत उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 पितराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
18. रामजीलाल उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 पितराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
19. लक्ष्मण उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 पितराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:25:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

20. शीशराम उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 पितराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
21. विजय कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 पितराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
22. तीजा देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
23. भागीरथ उम्र 40 पुत्र माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
24. पप्पू उम्र 35 पुत्र माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
25. रामूतार उम्र 33 पुत्र माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
26. तारामणी उम्र 34 पुत्री माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
27. सरोज उम्र 28 पुत्री माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
28. प्रेमदेवी उम्र 25 पुत्री माला उर्फ मालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
29. राजस्थान ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राज ग्रामीण बैंक इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
30. राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री सुमेरसिंह सैनी :– वादी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबतः–घोषणार्थ, बंटवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक :– 31.03.2021**

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। न्यायालय के प्रार्थमिक निर्णय दिनांक 06.08.2019 के द्वारा वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, झुन्झुनू को 500/– रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया था कि वह घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए मौका व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 7 दिवस में इस न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/88 दिनांक 23.01.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया है। विभाजन [illegible] वकील पक्षकारान को मौखिक रूप से सुना गया। वकील पक्षकारान [illegible] डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। विभाजन [illegible] मुताबिक प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद [illegible] डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairwa
Date: 2021.12.23 12:25:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। शेष जमाबंदी अंकन बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:25:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः— 22/2017

उनवान
बाबूलाल बनाम मणी देवी वगै0

दावा बाबतः—घोषणार्थ, बंटवारा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांकः— 31.03.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह सैनी एवं राज्य सरकार की ओर से श्री श्रवण सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 31.03.2021 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। शेष जमाबंदी अंकन बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	36	स्टाम्प अर्जी दावा	2
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर	500	बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	540		2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:25:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू